FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–
विरमदेव गहलोत पुत्र श्री स्व. शंकरलाल गहलोत, 427, सुभाष "अ" नगर, पाली (306401) (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–
लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 58 /2020
G.C.M.S. No. -2020/00217
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/10/20	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर),पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 16/10/20 को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली	1084-1085 01/10/20
16/10/20	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट उप०। लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली ने जरिये पत्रांक रा. लो. सू. अ./(6)(3)/216/2020/1629 दिनांक 13/10/2020 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचना क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल पाली के कार्यालय से संबंधित होने से RTI Act 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर दी गई है। उक्त कार्यालय/अधिकारी का अपीलीय न्यायालय यह न्यायालय नहीं होने से हस्तगत अपील में इस स्तर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है इससे अपीलान्ट को भी अवगत कराया गया। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलान्ट सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली [illegible] न्यायालय के नम्बर से कम हो। A जिला कलेक्टर, पाली	[illegible] 5185 8892 3025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:35:17 IST
Reason: SelfAttested